हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) - 246174

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal (Uttarakhand) 246174

(A Central University)

दूरभाष : Telephone (01346) - 252143, 252167, 252170
फैक्स : Fax (01346) – 252247
वेवसाइट : Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक सं0: हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰/बी॰एड॰प्र॰प॰/2017/ *दिनाँक :...............................*

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
1. समस्त राजकीय/सम्बद्ध महाविद्यालय,
2. समस्त स्ववित पोषित बी0एड0 राजकीय महाविद्यालय,
3. समस्त स्ववित पोषित निजी बी0एड0 संस्थान,
(सम्बद्ध हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय)

विषय: बी0 एड0 पाठ्यक्रम में सत्र् 2017–19 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि अग्रेत्तर उल्लिखित जिन राजकीय/सम्बद्ध महाविद्यालयों/स्ववित पोषित बी0एड0 महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित पोषित बी0एड0 संस्थानों को वर्ष 2017–19की सम्बद्वता विस्तारण की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित बी0एड0 की सीटों पर प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाना होगा, **जो कि वर्ष 2017 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हो।** राजकीय महाविद्यालय/स्ववित पोषित राजकीय महाविद्यालय/निजी स्ववित पोषित बी0एड0 संस्थानों को सत्र् 2017–19,के लिए राज्य कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत बी0एड0 कक्षा में **प्रवेश हेतु अपने स्तर से ही समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिये एक निर्धारित तिथि 31.08.2017 निश्चित की गयी। विज्ञापन इस पत्र को जारी तिथि के पश्चात् का होना आवश्यक है। जिसमें विज्ञापन की प्रति एंव प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रभारी, बी0एड0 सेल को दिनॉक 30.09.2017 तक उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।** यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बी0एड0 कक्षा में प्रवेश प्रत्येक दशा **में 31.08.2017** तक पूर्ण कर लिये जाये।

<u>प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण निर्देश</u>

1. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेश मैरिट (अतिरिक्त अंकों सहित प्राप्तांकों की वरीयता) के आधार पर करने होंगे तथा पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची प्राप्ताकों की वरीयता के आधार पर अवरोहीक्रम (डिसेंडिंग आर्डर) में बनाकर अपने महाविद्यालय/संस्थान के सूचना पट पर चस्पा करनी होगी। जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण करने के पश्चात् प्रवेश हेतु प्राप्ताकों (अतिरिक्त अंकों सहित) की वरीयता के आधार पर अवरोहीक्रम (डिसेंडिंग आर्डर) में सूची तैयार की जायेगी, जिसमें कि **उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाना होगा।**
3. **महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एंव उपरोक्त सभी सूचनायें 30.09.17 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है तभी महाविद्यालय /संस्थान द्वारा किये गये प्रवेश मान्य होगें।**
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा यदि कम मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है अथवा एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार शैक्षिक योग्यता से कम अंको पर प्रवेश देने या उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रवेश नहीं किये जाते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे किसी भी प्रवेश को अनुमोदित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा। **आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को ही दिया जायेगा।**
5. **बी.एड.प्र.प.–2017 में सम्मिलित कोई भी अभ्यर्थी अग्रेत्तर अंकित किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश हेतु अपनी सुविधानुसार आवेदन कर सकता है, प्रवेश केवल प्राप्तांकों की वरीयता (मैरिट) के आधार पर होगें।**

6. **महाविद्यालय/संस्थान यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश के समय अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद** (NCTE) **द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अन्तर्गत बी.एड. कक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारक है अथवा नहीं।**

7. **बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं अथवा नहीं, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।**

महाविद्यालयों/निजी स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थानों में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क :–

(क)अग्रेत्तर लिखित अंश ''अ'' में वर्णित राजकीय महाविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों से शासन द्वारा, निर्धारित राज्य पोषित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि शासन द्वारा शुल्क बढ़ोतरी की जाती है तो बढ़ा हुआ शुल्क ही लिया जायेगा।

(ख)अंश ''ब'' पर अंकित महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों से वही शुल्क लिया जायेगा जो कि शासन द्वारा स्ववित पोषित बी0एड0 राजकीय महाविद्यालयों हेतु रुपये 28,400=00 एवं रुपये 1000=00 काशनमनी निर्धारित किया गया है। यदि शासन से शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो बढा हुआ शुल्क ही देय होगा।

(ग)अंश 'स' पर अंकित निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों द्वारा वही शुल्क लिया जायेगा जो कि इस कार्यालय के पत्राक संख्या **बी०एड० प्र०प०/2013/867** दिनॉक 19/09/2013 के द्वारा **माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 988 दिनॉक 10/05/2013 (एशोसियेशन ऑफ सेल्फफाइनेन्स बी०एड० इन्स्टीट्यूट बनाम हे०न०ब०गढ़वाल विश्वविद्यालय) में पारित आदेशों के अनुपालन में रुपये 42,000=00(बयालिस हजार रूपये) राज्य कोटे की सीटों हेतु एवं रुपये 55,000=00 (पच्चपन हजार रुपये) प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु निर्धारित किया गया है।** शुल्क बढ़ने की दशा में बढ़ा हुआ शुल्क ही लिया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार शुल्क देय होगा जो कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय के परीक्षा अनुभाग में संचित किया जायेगा।

1.	**परीक्षा शुल्क रुपये–**	**2250=00 (दो हजार दो सौ पच्चास रुपये) प्रति सेमेस्टर**
2.	**पंजीकरण शुल्क रुपये–**	**500=00 (पॉच सौ रुपये)**
3.	**उपाधि शुल्क रुपये–**	**170=00 (एक सौ सत्तर रुपये)**
4.	**नामांकन शुल्क रुपये–**	**150=00 (एक सौ पच्चास रुपये)**
	कुल धनराशि रुपये–	**3070=00 (तीन हजार सत्तर रुपये मात्र)**

नोटः(जो छात्र इस विश्वविद्यालय में पूर्व से ही नामांकित हैं उन्हें नामांकन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।)

अंश–(अ) बी0एड0 राज्य पोषित राजकीय महाविद्यालय की सूची :–

1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर।	50
2	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार।	50
3	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, देहरादून।	50
4	के0एल0डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, रुड़की।	50
5	डी0डब्ल्यू0टी0 कालेज, देहरादून । (केवल महिलायें)	50
6	राठ महाविद्यालय पैठाणी	100

अंश–(ब) बी0एड0 स्ववित्तपोषित (Self Finance)राजकीय महाविद्यालय की सूचीः–

1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर। (स्ववित्तपोषित)	50
2	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि। (स्ववित्तपोषित)	50
3	राजकीय महाविद्यालय, वेदीखाल। स्ववित्तपोषित)	50
4	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल। स्ववित्तपोषित)	50
5	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार। (स्ववित्तपोषित)	50
6	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा, पौड़ी। (गढ़वाल) स्ववित्तपोषित)	50
7	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर–देहरादून। स्ववित्तपोषित)	50
8	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी। स्ववित्तपोषित)	50
9	राठ महाविद्यालय पैठाणी	50

अंश–(स) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त एंव विश्वविद्यालय से सत्र 2017–19 के लिए सम्बद्धता विस्तारण हेतु आवेदित निजी स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थानों की सूची :–

1	दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, 9 माइलस्टोन, हरिद्वार हाईवे, श्यामपुर, ऋषिकेश।	50
2	ओम्कारानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टैक्नोलॉजी,मुनिकी रेती, ऋषिकेश।	50
3	मार्डन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, ढालवाला, ऋषिकेश।	100
4	सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, रोहालकी किशनपुर, जिला हरिद्वार।	100
5	हिमालयन दून एकेडमी भगवानपुर, गागलहेड़ी रोड, सिकन्दरपुर रुड़की, हरिद्वार।	100
6	एम0एस0 गर्ग बी0एड0 कालेज, लक्सर, हरिद्वार।	100
7	अरिहन्त कालेज ऑफ एजुकेशन, गांव शान्तरशाह,पो0 दौलतपुर, रुड़की। (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
8	विशम्बर सहाय बी0एड0 इन्स्टीट्यूट, 6 कि0मी0 स्टोन, दिल्ली–देहरादून रोड़, रुड़की।	100
9	सुशाना मैथोडिस्ट गर्ल्स बी0एड0 कालेज, सिविल लाइन, रुड़की। (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
10	बी0एस0एम0 बी0एड0 कालेज, रुड़की।	100
11	डा0सुशीला तिवारी कालेज ऑफ एडंवास स्टडीज, NH-73 सिकन्दरपुर भगवानपुर रूड़की।	100
12	हिमालयन कालेज, हिमालयन चैरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून रोड, पुहाना रुड़की जिला हरिद्वार।	100
13	सृष्टि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन इकबालपुर रोड़, रुड़की।	100
14	श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, ग्राम मझोन पो0ओ0 पौधा, वायां प्रेमनगर, दे0दून।	100
15	शकुन्तला देवी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, ब्राहमणवाला चौक हरिद्वार रोड़ देहरादून।	50
16	दूनघाटी कालेज ऑफ प्रोफेशनल एजूकेशन, प्रेमनगर बाजार, डोईवाला–देहरादून।	100
17	डालफिन इन्स्टीट्यूट ऑफ वायोमेडिकल एण्ड नेचुरल सान्सेज, माण्डोवाला, देहरादून।	50
18	उत्तरांचल कालेज ऑफ एजूकशेन, सेवलाखुर्द, सहारनपुर रोड देहरादून	100
19	दून बैली कालेज ऑफ एजूकेशन, ठाकुरपुर, पो0ओ0 प्रेमनगर, देहरादून।	100
20	पेस्टलवीड कालेज ऑफ इन्फोरमेशन टैक्नोलाजी, टैक्नोलॉजीकल पार्क, ओक हिल एस्टेट मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून।	200
21	द्रोणाज कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नीकल एजूकेशन, 59 सुभाष रोड़, देहरादून।	100
22	नालन्दा इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, मियांवाला तिराहा हरिद्वार रोड़ देहरादून।	100
23	नव चेतना कालेज ऑफ टीचर्स एजूकेशन, माण्डूवाला, निकट बाला सुन्दरी मन्दिर, दे0दून।	100
24	वी0 हाईव कॉलेज ऑफ एडंवास स्टडीज, बी हाईव सिटी सेन्ट्रल होप टाउन सैलाकुई, चकराता रोड, देहरादून।	100
25	द्रोणाचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजूकेशन,धर्मावाला,विकासनगर,शिमला वाईपास रोड, डाकपत्थर विकासनगर।	100
26	डी0डी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, 25 निम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।	100
27	दून (पी.जी) कोलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी, कैम्प रोड, सैलाकुई, देहरादून।	100
28	श्रीमती मंजिरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, हिटाणू धनारी, उत्तरकाशी।	100
29	मालिनी बैली कालेज ऑफ एजूकेशन, शिवराजपुर, कोटद्वार।	100

30	इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज एण्ड डेवलपमेन्ट बी.एड. कॉलेज, लण्ढोरा रेलवे स्टेशन के सामने, शिकारपुर, रुड़की जिला हरिद्वार।	**50**
31	कुकरेजा इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजूकेशन, गणेश बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून	**200**
32	रुड़की डिग्री कॉलेज धनौरी रुड़की	**100**
33	गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर रुड़की हरिद्वार	**50**
34	एस.पी.मैमोरियल श्रीनगर	**100**
35	कॉलेज ऑफ एजूकेशन रुड़की हरिद्वार रोड़ शान्तरशाह	**100**
36	संस्कृति इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज नाशीरपुर रुड़की	**100**
37	स्वामी राम इन्स्टीट्यूट ऑफ मलेठी	**50**

आपको यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त अंश 'अ' एवं ''ब'' पर अंकित महाविद्यालयों/निजी स्ववित पोषित बी0एड0 संस्थानों द्वारा प्रत्येक समूह एवं वर्ग में निम्न विवरणानुसार ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना है, **इन्हीं आबंटित सीटों के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेन्टल) भी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशानुसार दिया जायेगा।**

वर्ग– कुलसीट	**सामान्य**	**एस0सी0**	**एस0टी0**	**ओ0बी0सी0**
कला वर्ग– 30	19	6	01	04
विज्ञान वर्ग– 20	12	4	01	03

नोटः–उपरोक्त आरक्षण उन महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों पर लागू होगा जिन्हें एन.सी.टी.ई.द्वारा 50सीटें आवंटित की गई है।

वर्ग– कुलसीट	**सामान्य**	**एस0सी0**	**एस0टी0**	**ओ0बी0सी0**
कला वर्ग–60	38	12	02	08
विज्ञान वर्ग–40	25	07	02	06

नोटः– उपरोक्त आरक्षण उन महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों पर लागू होगा जिन्हें एन.सी.टी.ई.द्वारा 100 सीटें आवंटित की गई है।

भवदीय

कुलसचिव

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री संजीव श्रीवास्तव, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. माननीय कुलपति/प्रति कुलपति, महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. संकायाध्यक्ष शिक्षा, बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल ।
6. परिसर निदेशक, पौड़ी/टिहरी के सूचनार्थ।
7. कोर्डिनेटर ई–गवरनेन्स के सूचनार्थ प्रस्तुत।
8. उपकुलसचिव परीक्षा।
9. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।

कुलसचिव